संख्या: 2454/सत्रह-म0-2012-11-3-पी0 5 /2010

प्रेषक,

क्षेत्रपाल
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मत्स्य पालक विकास अभिकरण, मुख्य विकास अधिकारी/
अधिशासी निदेशक-गोरखपुर/महराजगंज/देवरिया/कुशीनगर/
सिद्धार्थनगर/संतकबीरनगर/गोण्डा एवं मऊ उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग                लखनऊ: दिनांक 09 नवम्बर, 2012

विषय: झींगा पालन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 342/नि0शा0/2012-13 दिनांक 25-0 -2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय झींगा पालन योजनान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु रुपया 2,00,000/- (रुपया दो लाख) मात्र की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. उपरोक्त स्वीकृति धनराशि से निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 192/नि0शा0/2011-12 दिनांक 10-05-2011 में लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित मानदण्डों/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी भी दशा में अग्रिम आहरित कर किसी भी बैंक/पी0एल0ए0 में जमा नहीं की जायेगी तथा आवंटित धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में किया जायेगा, जिसकी वित्तीय/भौतिक प्रगति दिनांक 15-03-2013 तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. यह योजना कृषकों की भाँति मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि के दृष्टिगत संलग्नक में उल्लिखित जनपदों में प्रत्येक जनपद में 0.5 हेक्टेयर जलक्षेत्र के निजी क्षेत्र/सामुदायिक क्षेत्र में पट्टे पर आवंटित एक-एक तालाब में संचालित करायी जायेगी। 0.5 हे0 जलक्षेत्र के एक यूनिट में पाली गयी मछली के साथ 20000 झींगा का बीज संचित कराया जायेगा।

...2...

3. प्रदेश में झींगा बीज उपलब्ध न होने के कारण झींगे का बीज आई0सी0ए0आर0 के केन्द्रीय संसाधनों अथवा बालासोर, उड़ीसा स्थित निजी क्षेत्र की झींगा हैचरी से क्रय कर हवाई मार्ग से यथा स्थित चयनित जनपदों के चयनित मत्स्य पालकों को सम्बन्धित मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर रूपया 1/- यातायात सहित प्रति झींगा बीज की दर से 20,000 झींगा के बीज पर रू0 20,000/-का व्यय होगा । झींगा बीज के पोषण हेतु प्रयुक्त आहार (झींगा फीड) धनराशि का सम्पूर्ण व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में किया जायेगा। सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत कंपनियों/आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति करायी जायेगी। 0.5 हे0 यूनिट के लिए झींगा बीज के फीड हेतु कुल रूपया 50,000/- (पचास हजार) का व्यय होगा ।

4. झींगा पालन हेतु झींगा पालकों को 50 प्रतिशत अर्थात अधिकतम रूपया 25,000/- अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत की धनराशि जल भराव आदि कार्यों पर होने वाला व्यय झींगा पालकों द्वारा स्वयं के संसाधनों द्वारा वहन किया जायेगा अर्थात आवश्यकतानुसार बैंक वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ।

5. झींगा पालन में तकनीकी जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी झींगा पालकों को सम्बन्धित जनपदों के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर निरीक्षण कर तकनीकी जानकारी कार्य स्थल पर सुलभ करायी जायेगी ।

6. योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन निदेशालय मत्स्य द्वारा निर्धारित मापदण्डों/दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अधिशाषी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण की देख-रेख एवं प्रभावी नियंत्रण में सम्पन्न कराया जायेगा ।

7. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग होने के उपरान्त समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता अवांछनीय होगी ।

8. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखा-शीर्षक "2405-मछली पालन आयोजनागत-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-04-मत्स्य विकास कार्यक्रम-0407-झींगा पालन 27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

...3....

9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: बी-1-1515/दस-2012-231/2012 दिनांक 09 जुलाई, 2012 में प्राप्त मार्ग निर्देशों के अनुरूप जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-उपरोक्त।

भवदीय,

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव।

संख्या: 2454(1)/सत्रह-म0-2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक [illegible], उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु01/नियोजन-3
6. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या: 2454/सत्रह-व0-2012-11-3-पिट 5/2010 दिनाँक 09 नवम्बर, 2012 का संलग्नक ।

धनराशि (रू0 लाख में)

| क्रमांक | जनपद | स्थापित की जाने वाली यूनिटों की संख्या | क्षेत्रफल (हे0 में) | प्रति यूनिट कुल लागत | 50 प्रतिशत देय अनुदान हेतु आवंटित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | गोरखपुर | 01 | 0.50 | 0.50 | 0.25 |
| 2. | महराजगंज | 01 | 0.50 | 0.50 | 0.25 |
| 3. | देवरिया | 01 | 0.50 | 0.50 | 0.25 |
| 4. | कुशीनगर | 01 | 0.50 | 0.50 | 0.25 |
| 5. | सिद्धार्थनगर | 01 | 0.50 | 0.50 | 0.25 |
| 5. | संतकबीरनगर | 01 | 0.50 | 0.50 | 0.25 |
| 6. | गोण्डा | 01 | 0.50 | 0.50 | 0.25 |
| 8. | मऊ | 01 | 0.50 | 0.50 | 0.25 |
|  | योग | 08 | 4.00 | 4.00 | 2.00 |

रुपया दो लाख मात्र

( मैत्री लाल )
उप सचिव ।